न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 248/2016 **दायरा दिनांक : 13.07.2016**

उनवान

1— रामदयाल आयु 47 वर्ष पुत्र श्री भागचन्द, जाति धाकड, निवासी भुवाखेडी, तहसील छबडा, जिला बारां

2— रूपनारायण आयु 40 वर्ष पुत्र श्री भागचन्द, जाति धाकड, निवासी भुवाखेडी, तहसील छबडा, जिला बारां

3— पार्वती बाई आयु 50 वर्ष पत्नी श्री नन्दकिशोर, जाति धाकड, निवासी हाल मुकाम जैपला

4— बुन्दा बाई आयु 48 वर्ष पुत्री श्री भागचन्द, पत्नी श्री श्याम, जाति धाकड, निवासी हाल मुकाम अर्डान्द

5— बरजी बाई आयु 45 वर्ष पुत्री श्री भागचन्द पत्नी श्री भीमराज, जाति धाकड, निवासी हाल मुकाम बमोरीघाटा

6— दमयन्ती आयु 43 वर्ष पुत्री श्री भागचन्द पत्नी श्री रामभरोस, जाति धाकड, निवासी हाल मुकाम कासमपुरा

7— केसर बाई आयु 75 वर्ष बेवा श्री भागचन्द, जाति धाकड, निवासी भुवाखेडी, तहसील छबडा, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— राधाकिशन आयु 60 वर्ष पुत्र श्री मदनलाल, जाति धाकड, निवासी भुवाखेडी, तहसील छबडा, जिला बारां

2– रामस्वरूप आयु 45 वर्ष पुत्र श्री मदनलाल, जाति धाकड, निवासी भुवाखेडी, तहसील छबडा, जिला बारां

3– कैला बाई उर्फ कैलाश बाई आयु 55 वर्ष पुत्री श्री मदनलाल, जाति धाकड, निवासी भुवाखेडी, तहसील छबडा, जिला बारां

4– कान्ती बाई आयु 65 वर्ष पुत्री श्री मदनलाल, जाति धाकड, निवासी भुवाखेडी, तहसील छबडा, जिला बारां

5– शान्ति बाई आयु 50 वर्ष पुत्री श्री मदनलाल, जाति धाकड, निवासी भुवाखेडी, तहसील छबडा, जिला बारां

6– जानकीबाई आयु 95 वर्ष बेवा श्री मदनलाल, जाति धाकड, निवासी भुवाखेडी, तहसील छबडा, जिला बारां

7– नरेन्द्र आयु 36 वर्ष पुत्र श्री सीताराम, जाति धाकड, निवासी भुवाखेडी, तहसील छबडा, जिला बारां

8– लक्ष्मीचन्द आयु 33 वर्ष पुत्र श्री सीताराम, जाति धाकड, निवासी भुवाखेडी, तहसील छबडा, जिला बारां

9– मन्जू बाई आयु 30 वर्ष पुत्री श्री सीताराम, जाति धाकड, निवासी भुवाखेडी, तहसील छबडा, जिला बारां

10– बरफा बाई आयु 55 वर्ष बेवा श्री सीताराम, जाति धाकड, निवासी भुवाखेडी, तहसील छबडा, जिला बारां

11– पृथ्वीराज आयु वर्ष पुत्र श्री पन्ना लाल, जाति धाकड, निवासी भुवाखेडी, तहसील छबडा, जिला बारां

12– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री नरेन्द्र सोमानी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री मदनगोपाल केवडा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 19.02.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या – 96/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 03.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंटगण ने अपीलांटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 188, 88 और 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि वादीगण और प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त एवं खाते की आराजी खसरा नम्बर 16 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा खसरा नम्बर 155 रकबा 13 बिस्वा ग्राम भुवाखेडी खसरा नम्बर 38 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा ग्राम अमीरपुर उर्फ खेडी तहसील छबडा में स्थित है । आराजी पैतृक है । वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम भुवाखेडी में वादीगण 1 लगायत 10 का 1/3 हिस्सा है और ग्राम अमीरपुर की आराजी में भी 1/3 हिस्सा है । खातेदार रामचन्द्र ला औजाद फौत हुआ है जिनके वारिस वादीगण और प्रतिवादीगण हैं इसलिए रामचन्द्र का नाम खारिज होने योग्य है । आराजी का बंटवारा नहीं हुआ है । वादीगण अपने हिस्से को पृथक से दर्ज करना चाहता है । अतः दावा वादी स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी का विभाजन किया जाये और प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये कि बिना विभाजन आराजी का बेचान न करें । अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर दिनांक 03.06.2016 को दावा वादी स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि तनकीयात पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई साक्ष्य नहीं ली है और न ही तनकीवार निर्णय पारित किया है । ग्राम भुवाखेडी की आराजी खसरा नम्बर 37 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 45 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा अपीलांट

रामदयाल को जरिये रजिस्टर्ड वसीयत प्राप्त हुई है और अपीलांट के खाते में दर्ज है । खसरा नम्बर 155 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 16 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा है में रामचन्द्र का 1/4 हिस्सा दर्ज था । यह भूमि भी रामदयाल के खाते में दर्ज है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने रामदयाल के हिस्से को कम करके सम्पूर्ण आराजी में 1/3 हिस्सा दर्ज करने का आदेश दिया है । निर्णय दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत है । वसीयत पर ध्यान नहीं दिया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व अभियान में निर्णय पारित किया गया है । तनकीयात कायम की गई थी परन्तु तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है । अपीलांट का हिस्सा कम कर दिया है, हिस्सा गलत तय किया है । वसीयत पर ध्यान नहीं दिया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है । निर्णय विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 03.06.2016 के अनुसार

प्रतिवादीगण में से रामदयाल वादीगण में से नरेन्द्र और लक्ष्मीचन्द उपस्थित हुए हैं शेष वादीगण और प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए हैं । पक्षकारान ने कोई राजीनामा पेश नहीं किया है और उसी दिन दावा डिक्री किया गया है जबकि पूर्व में प्रकरण साक्ष्य वादी में लम्बित था । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो इसके अभाव में सी पी सी की पालना में तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.06.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.04.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा